सं0सं0 : निग/सारा(पथ)–02–अभि0–11–31/2011..... रांची, दिनांक :

झारखण्ड सरकार
पथ निर्माण विभाग

आदेश

Case No. RC-08(A)/2010-R में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–III–सह–विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0, धनबाद के द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित न्यायादेश में (i) श्री प्रकाश चन्द्र सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, (ii) श्री अन्थोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता एवं (iii) श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा को निम्न दण्ड दिया गया है:–

Section	Sentence of imprisonment	Nature of Imprisonment	Fine	In default of fine (Imprisonment)
13(2)r/w 13(1) (d) of P.C. Act-1988	6 Years	R.I.	1,50,000 each	S.I. for 01 year each
u/s 120B r/w 420, 468, 471 IPC	5 Years	R.I.	30,000 each	S.I. for 3 months each
U/s 420 IPC	5 Years	R.I.	30,000 each	S.I. for 3 months each
U/s 468 IPC	5 Years	R.I.	30,000 each	S.I. for 3 months each
U/s 471 IPC	5 Years	R.I.	30,000 each	S.I. for 3 months each

All the sentences aforesaid shall run concurrently and the period already undergone during investigation and trial of this case shall be set of in the punishment of imprisonment as awarded above.

2. पुलिस अधीक्षक/शाखा प्रधान, सी0बी0आई0, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद का पत्रांक–812/03/08(A)/2010–R दि0–17.03.2023 द्वारा माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–III–सह–विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0, धनबाद के द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित न्यायादेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए (i) श्री प्रकाश चन्द्र सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, (ii) श्री अन्थोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता एवं (iii) श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा के विरूद्ध निम्न कार्रवाई करने हेतु प्राप्त हुआ है:–

"The more appropriate course in all such cases is to take action under clause (a) of the second proviso to article 311(2) once a govt. servant is convicted of a criminal charge and not to wait for the appeal or revision, as the case may be. If however, the Govt. Servant accused is acquitted on appeal or other

proceedings, the order can always be revised and if the Govt. Servant is reinstated, he will be entitled to all benefits to which he would have been entitled to, had he contiued in service. The other course suggested viz. to wait till the appeal, revision and other remedies are over, would not be advisable since it would mean continuing in service a person who has been convicted of a serious offence by a criminal court.

It is therefore, requested that the aforesaid convict working in your deptt. may be dealt with, in accordance with above observation of Hon'ble Supreme Court of India, under intimation to the Branch."

3. विधि (न्याय) विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश संख्या–43/जे0, दिनांक–18.04.2011 के द्वारा (i) श्री प्रकाश चन्द्र सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, (ii) श्री अन्थोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता एवं (iii) श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा के विरूद्ध अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

4. श्री प्रकाश चन्द्र सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–7550(एस), दिनांक 02.11.2015 के द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया है:–

(i) अपने पद के वेतनमान के न्यूनतम् प्रक्रम पर अवनति,
(ii) सरकारी राजस्व की हुई हानि की अनुपातिक वसूली।

उक्त अधिसूचना के कंडिका–(ii) के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या–264(एस), दिनांक 07.05.2018 के द्वारा श्री सिंह से सरकारी राजस्व की हुई कुल हानि रू0 9,30,850/– की अनुपातिक राशि रू0 3,10,283.33 (तीन लाख दस हजार दो सौ तिरासी रूपये तैंतीस पैसे) की वसूली करने का निर्णय लिया गया।

श्री अन्थोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय अधिसूचना संख्या–3597(एस), दिनांक 22.05.2015 के द्वारा निम्न दण्ड अधिरोपित किया गया है:–

(i) अपने पद के वेतनमान के न्यूनतम् प्रक्रम पर अवनति,
(ii) सरकारी राजस्व को हुई कुल क्षति रू0 9,30,850/– की अनुपातिक राशि रू0 3,10,283.33 (तीन लाख दस हजार दो सौ तिरासी रूपये तैंतीस पैसे) की वसूली।

जामा–जामाताड़ा–रूपनारायणपुर रोड के सतह नवीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए श्री प्रकाश चन्द्र सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता एवं 2. श्री अन्थोनी तिग्गा, तदेन सहायक अभियंता, दोनों पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही भी संचालित करते हुए उनके विरूद्ध दण्ड अधिरोपित किया जा चुका है। श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा के जुलाई, 2007 में सेवानिवृत हो जाने के फलस्वरूप झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) के तहत मामला कालबाधित हो जाने के कारण उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित नहीं की गयी।

5. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–III–सह–विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0, धनबाद के आदेश दिनांक 31.01.2023 के आलोक में विद्वान महाधिवक्ता, झारखण्ड का मंतव्य निम्नवत् है:–

"......................... In my opinoin, the proceeding may be taken under Rule-43(a) against Naresh Prasad Singh based on the judgement of conviction and sentence passed by the learned Trail Court. The proceeding will be for the recovery of amount of loss casused by the pensioner namely Naresh Prasad Singh."

6. पथ निर्माण विभाग के पत्रांक–3628, दि0–15.09.2025 द्वारा माननीय न्यायालय द्वारा सजा देने के फलस्वरूप पेंशन नियमावली के नियम–43(क) के तहत जामा–जामाताड़ा–रूपनारायणपुर रोड के सतह नवीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए सरकारी राजस्व की हुई कुल हानि रू0 9,30,850/– की अनुपातिक राशि रू0 3,10,283.33 (तीन लाख दस हजार दो सौ तिरासी रूपये तैंतीस पैसे) की वसूली श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से समान किस्तों में कटौती करने हेतु श्री सिंह से द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

7. उक्त पत्र के प्रत्युत्तर में श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत का पत्रांक–शून्य, दि0–25.09.2025 प्राप्त हुआ।

8. अतएव Case No. RC-08(A)/2010-R में माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश–III–सह–विशेष न्यायाधीश, सी0बी0आई0, धनबाद के द्वारा दिनांक 31.01.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक/शाखा प्रधान, सी0बी0आई0, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, धनबाद का प्राप्त पत्र एवं विद्वान महाधिवक्ता से प्राप्त मंतव्य के आलोक में श्री सिंह का द्वितीय कारण पृच्छा का प्राप्त जवाब के समीक्षोपरांत झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम–43(a) के तहत श्री नरेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, सभी पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, जामताड़ा सम्प्रति सेवानिवृत से जामा–जामाताड़ा– रूपनारायणपुर रोड के सतह नवीकरण कार्य में बरती गयी अनियमितता के लिए श्री सिंह के पेंशन से वसूली हेतु निम्न निर्णय लिया जाता है:–

'' सरकारी राजस्व की हुई कुल हानि रू0 9,30,850/– की अनुपातिक राशि रू0 3,10,283.33 (तीन लाख दस हजार दो सौ तिरासी रूपये तैंतीस पैसे) की वसूली श्री सिंह के पेंशन से पहला किस्त रू0 5,283.33/–(पांच हजार दो सौ तिरासी रूपये तैंतीस पैसे) एवं शेष रू0 3,05,000/– (तीन लाख पांच हजार) की वसूली 61 (इकसठ) समान किस्तों में (प्रति किस्त रू0 5000/–) की जाएगी।''

ह0/–
(प्रवीण जयंत भेंगरा)
अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:– निग/सारा(पथ)–02–अभि0–11–31/2011 1228(S) **/राँची, दिनांक** :- 19/3/26

प्रतिलिपि:– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची/विभागीय ई0 गजट नोडल पदाधिकारी, पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/03/26

(प्रवीण जयंत भेंगरा)